रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D.-(D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 137] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 23, 1983/भाद्र 1, 1905
No. 137] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 23, 1983/BHADRA 1, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

निर्यात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं० 35-ईटीसी (पीएन)/83

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 1983

विषय :—गेहूं और धान के बीजों सहित सभी प्रकार के खाद्यान्न बीजों का निर्यात।

मिसिल सं० 40(31)/83-ई-2 :—उपर्युक्त विषय पर निर्यात नियंत्रण संशोधन आदेश सं० ई (सी) ओ, 1977 एएम (269) दिनांक 23 अगस्त, 1983 की ओर ध्यान दिलाया जाता है।

2. इस समय खुले सामान्य लाइसेंस 3 के अन्तर्गत गेहूं के बीजों को छोड़कर खाद्यान्न बीजों के निर्यात की अनुमति राष्ट्रीय बीज निगम या राज्य सरकार

द्वारा मान्यता प्राप्त प्रमाणन अभिकरण से गुण नियंत्रण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर दी जाती है। गेहूं के बीजों के निर्यात की अनुमति "गुणवत्ता के आधार पर" है।

3. स्थिति की पुनरीक्षा करने पर, यह निश्चय किया गया है कि गेहूं और धान के बीजों सहित सभी प्रकार के खाद्यान्न बीजों के निर्यात के लिए सभी आवेदनों पर तत्काल से ही मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, नई दिल्ली द्वारा "गुणवत्ता के आधार पर" विचार किया जाएगा।

तदनुसार, आयात तथा निर्यात नीति 1983-84 (जिल्द-2) के नीति विवरण के पृष्ठ 16 पर की क्रम सं० 24(2)(क) और (ख) के सामने दर्शाई गई वर्तमान प्रविष्टियों को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :–

भाग 'ख' अनुसूची के अनुसार क्रम सं०	मद का ब्यौरा	लाइसेंस नीति
24(4)	गेहूं और धान के बीजों सहित सभी प्रकार के खाद्यान्न बीज।	"गुणवत्ता के आधार पर"।

पी०सी० जैन, मुख्य नियंत्रक,
आयात एवं निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

EXPORT TRADE CONTROL

PUBLIC NOTICE No. 25-ETC (PN)/83

New Delhi, the 23 rd August, 1983

Subject :— Export of Foodgrain Seeds of all varieties, including Wheat and Paddy Seeds.

File No. 40/31/83-EII.—Attention is invited to the Export Control Amendment Order No. E(C)O, 1977/AM (269) dated the 23rd August, 1983, on the above subject.

2. At present export of Foodgrain Seeds excluding Wheat Seeds is allowed under OGL-3 subject to production of a Quality Control Certificate from a Certification Agency recognised by a State Government or the National Seeds Corporation. Exprot of Wheat Seeds is allowed" On Merits".

3. On a review of the position, it has been decided that with immediate effect all requests for export of Foodgrains Seed of all varieties including Wheat and Paddy Seeds shall be considered "On Merits" by the Chief Controller of Imports & Exoprts, New Delhi.

Accordingly the existing entries appearing against S.No. 24 (iv)(a) and (b) at page 16 of the Policy Statement of Import and Export Policy 1983-84 (Vol II) shall be substituted by the following :—

S.No. as in Part 'B' Schedule I	Description of the item	Licensing Policy
24 (iv)	Foodgrain Seeds of all varieties, including Wheat and Paddy Seeds.	"On Merits"

P.C. JAIN, Chief Controller of Imports & Exports

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983